JAGANNATH
UNIVERSITY

दिनांकः दिसम्बर 7, 2021

कार्यालय आदेश

कोरोना के पुनः बढ़ते पॉजिटिव मामलों के मद्देनजर गृह विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमाकः प. 7 (1) गृह – 7/2021 दिनांक 26 नवम्बर, 2021 में विश्वविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को निम्नलिखित दिशा–निर्देश का पालन करना अतिआवश्यक है। जागरूक होकर तथा केन्द्र व राज्य सरकार के समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना कर ही हम इस महामारी का मुकाबला कर सकते हैं।

दिशा निर्देश :–

1. विश्वविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों विश्वविद्यालय में आने के 14 दिन पूर्व वैक्सीन की दोनों खुराक (1^{st} & 2^{nd} dose) अनिवार्य रूप से लेना सुनिश्चित करें।
2. विश्वविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों विश्वविद्यालय में आवागमन हेतु संचालित बस/कैब/ऑटो इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता अनुसार ही बैठें।
3. विश्वविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों अध्ययन की अवधि के दौरान तथा आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य रूप से सुनिशिचित करें।
4. विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों विश्वविद्यालय में आने से पूर्व अपने माता–पिता/अभिभावक से लिखित में अनुमति लेकर अपने सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता को जमा कराये।
5. विश्वविद्यालयों के समस्त विद्यार्थियों विश्वविद्यालय में प्रवेश पूर्व स्क्रीनिंग करा कर ही प्रवेश करना सुनिश्चित करें।
6. नियमित कक्षाओं के अध्ययन के दौरान कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी इस प्रकार बैठे कि प्रत्येक विद्यार्थियों के मध्य कम–से–कम दो गज की दूरी हो।
7. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी किसी भी स्थान पर अनावश्यक रूप से एक साथ एकत्रित न हो।
8. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कैंटीन को आगामी आदेश तक बंद रखा जायेगा।
9. छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी जो वर्तमान में अपने घर से आये हो वह विद्यार्थी आरटीपीसीआर टेस्ट अनावश्यक रूप करवाएं व रिपोर्ट आने तक स्वयं को क्वारटीन करें।
10. समस्त विद्यार्थियों को स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने की सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन को देनी अनिवार्य होगी।
11. समस्त विद्यार्थी के लिये समय–समय पर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करना अनिवार्य होगा।

(Dr. Mayank Mathur)
Dy. Registrar